

प्रेस नोट
थाना बबीना जनपद झाँसी

दिनांक 31.08.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- थाना बबीना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार,
- गिरफ्तार वारण्टी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.08.2026 को थाना बबीना पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त- **हखरूद्दीन खान पुत्र गोंदू खान उम्र 58 वर्ष निवासी ईसाई चौकी खैलार थाना बबीना जिला झाँसी** संबंधित एनबीडब्ल्यू केस नं0 642/2022 अ0सं0 398/2019 बनाम हखरूद्दीन धारा 135 वि0अधि0 थाना ए0पी0टी0 जिला झाँसी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि0) झाँसी को ग्राम खैलार थाना बबीना, जनपद- झाँसी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि0) झाँसी के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया है।

वारण्टी का नाम पता:-

हखरूद्दीन खान पुत्र गोंदू खान उम्र 58 वर्ष निवासी ईसाई चौकी खैलार थाना बबीना जिला झाँसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री सोनू श्रीवास्तव थाना बबीना जनपद झाँसी
- 2.हे0का0 502 विकास कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी
- 3.रि0आ0 1159 आशय शुक्ला थाना बबीना जनपद झाँसी